

**स्नेहक तेलों में मिलावट**

1264. श्री मीठा लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अनेकों बार स्नेहक तेलों में बड़े पैमाने पर मिलावट पाई गई है और क्या सरकार को इस बारे में हाल ही में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) लुब्रीकेटिंग तेल मांटे तौर पर प्रमुख तेल कम्पनियों के मान्यता प्राप्त वितरकों, डीलरों के माध्यम से बेचा जाता है और प्रमुख तेल कम्पनियों के परचून पेट्रोल पम्पों सहित विपणन केन्द्रों के माध्यम से बेचे गए लुब्रीकेटिंग तेलों की कोटि के बारे में सरकार को कोई गम्भीर शिकायत नहीं मिली है। फिर भी सरकार को निजी शोधनकर्ताओं मार्केटिंग्स छुटपुट विक्रताओं और गैरमान्यता प्राप्त डीलरों द्वारा नकली विशिष्ट गुणों रहित लुब्रीकेटिंग तेलों की बिक्री से सम्बन्धित कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) लुब्रीकेटिंग तेलों में मिलावट कुप्रयोग से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ पेनल द्वारा मुझाए गए उपायों पर अनुवर्ती कार्यवाही को आरम्भ करने के अतिरिक्त सरकार ने स्नेहक तेलों के वितरण के सम्बन्ध में अनुशासन की एक योजना निर्धारित की है जिसे सभी प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा क्रियान्वित करना जहरी है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि तेल कम्पनियों के केन्द्रों द्वारा लुब्रीकेटिंग तेलों के वितरण में कोई कदाचार न हो, इस के लिए वे अपने परचून

पेट्रोल पम्पों एजन्टों की आकस्मिक जांच आयोजित करते रहे हैं। तेल कम्पनियों से यह भी कह दिया गया है कि वे सभी बड़े-बड़े तेल उपभोक्ताओं के साथ और अधिक सीधी बिक्री को प्रोत्साहन दें। बाजार में नकली तेल के परिचालन को कम से कम करने के उद्देश्य से और अधिक उपायों की एक क्रम-माला पर विचार किया गया है। इस दिशा में निर्धारित जिन कुछ प्रमुख कदमों को उठाया गया है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) सभी आटोमोटिव तेलों, औद्योगिक तेलों और ग्रीस के उत्पादन के लिए अध्यादेश द्वारा आई एस आई मार्क का प्रयोग करने का सरकार का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में आई एस आई तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों के परामर्श से ब्यारे तैयार किए जा रहे हैं।

(2) ल्यूब उत्पादन के लिए सम्भरण भंडार के आबंटन पर और कड़ा नियंत्रण किया जायगा। ऐसा करने का उद्देश्य मात्र इस बात को सुनिश्चित करना है कि अन्तिम उत्पाद के सम्बन्ध में दिए गए सम्भरण भंडार का हिसाब सही रखा जाए।

(3) तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे इण्टरमिडिएटीज को समाप्त करें और ल्यूब वितरण में व्यस्त एजेंसियों की संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति से वचें ताकि तेल कम्पनियों के उनके कार्य संचालन पर प्रभावी नियन्त्रण को कमजोर न बनाया जा सके।

(4) उपभोक्ताओं में व्यापक जागृति उत्पन्न करने और इसमें भाग लेने की प्रवृत्ति के बारे में तेल कम्पनियों से एक बड़े प्रचार अभियान को चला कहा गया गया है।

(5) तेल कम्पनियों से यह भी कहा गया है कि समस्याओं का गहराई

से मूल्यांकन करने और उनके यथासम्भव समाधान के लिए एक छोटा सा दल का गठन करें और वे मंत्रालय के पास दृढ़ और ठोस सुझाव ले लें जिनमें सीमित समय और चरणबद्ध कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा सके।

**Railway employees compulsorily retired during Emergency**

1265. SHRI K. KUNHAMBU:  
SHRI KRISHNA CHANDRA  
HALDAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of railway employees, Zone-wise who were compulsorily retired during emergency period;

(b) the number of employees out of them who belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, categorywise i.e. Class I, II, III and IV;

(c) whether any steps have been taken for reinstatement of these employees; and

(d) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS  
(PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**Drinking water facilities in long distance trains**

1266. DR. SARADISH ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to provide drinking water tank in each compartment in long distance trains; and

(b) if not, what alternative arrangements are proposed to provide drinking water for the passengers?

THE MINISTER OF RAILWAYS  
(PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) In certain selected long distance

vestibuled trains with limited stoppages, this has been done.

(b) Adequate arrangements for supply of drinking water to passengers have been made at all railway stations. Apart from taps/hand pumps and water coolers at important stations, watermen are deployed to supply drinking water to passengers in trains as well as at platforms. Trolleys mounted with cool drinking water in 'Matkas' are also plied from one end of the train to the other to serve drinking water to passengers in compartments. In summer, special arrangements are made to augment the water supply by deploying additional watermen.

In addition, "In service" supply of water is being provided in certain selected long distance fully vestibuled trains with limited stoppages, like Karnataka-Kerala Express, Tamil Nadu Express, Mangalore/Cochin-Nizamuddin Jayanti Janata Express, Mangalore/Ernaculam-Bombay Janata Express etc. in which water containers/thermal urns are provided in all coaches, including second class sleeper coaches, filled with potable water. These containers are filled at stations en route. This arrangement provides the facility of drinking water for the passengers when the train is on the run.

The facilities for provision of drinking water are constantly reviewed and augmented as necessary.

**अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन**

1267. श्री ई वर चौधरी : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए पेट्रोल पम्प आबंटित करने का कोई कोटा नियत किया है ; और